

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 31/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024 / 134

1. चन्द्रकान्ता पत्नी गजानन्द जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. नितिन पुत्र गजानन्द जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. सचिन पुत्र गजानन्द जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र स्व० लक्ष्मण जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. चान्दमल पुत्र स्व० लक्ष्मण जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. देवीलाल पुत्र स्व० लक्ष्मण जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. रामेश्वर पुत्र स्व० लक्ष्मण जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. रामीबाई पुत्री स्व० लक्ष्मण जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. लोभचन्द पुत्र स्व० लक्ष्मण जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. काना पुत्र उदा जी जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. कालू पुत्र उदा जी जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. लोगर पुत्र भगा जी जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली. जिला उदयपुर (राज०)
10. इन्द्रसिंह पुत्र बालू जी जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. कैलाशसिंह पुत्र बालू जी जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. किशनलाल पुत्र अमरचन्द जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. गीता पत्नी बालू जी जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. पप्पू उर्फ शंकर पुत्र कालू जी जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. बगदीबाई पुत्री काना जी जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी चंगेजी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)



37. ललीता कुमारी पुत्री माधवलाल जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
 38. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
 39. पटवारी, पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित 1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक :-21.05.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा चंगेड़ी पटवार हल्का चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1447, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455 किता 15 कुल रकबा 2.8489 हैक्टेयर भूमि संलग्न जमाबंदी अनुसार हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1449 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। विपक्षीगण सीमा विवाद करते रहते है। हम हमारी भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल/तारबंदी करना चाहते है। जिससे की आवारा पशु हमारी खातेदारी भूमि में नहीं जा सके। तारबंदी के समय विपक्षीगण सीमा संबंधी विवाद कर सकते है। इसलिए हम प्रार्थीगण हमारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। जिससे की सीमा को लेकर विवाद नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की सभी दिशाओं की सीमा की पत्थरगड़ी कराई जाकर स्थायी सीमांकन कराया जावे तथा हम प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 38 का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावे तो हम प्रार्थीगण की कृषि भूमियों से विपक्षी संख्या 1 से 38 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर हमारी कृषि भूमि का कब्जा हम प्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6, 10 से 16, 18, 19 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 7 से 9, 17 फौत हो जाने से अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन करने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। विपक्षी संख्या 20 से 27 की विरुद्ध भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन करने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। विपक्षी संख्या 38, 39

आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी हक की भूमि है प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को समाप्त किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मौजा चंगेड़ी पटवार हल्का चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 122 पर दर्ज आराजी नम्बर 1449 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 321 पर दर्ज आराजी नम्बर 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1447, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455 कित्ता 15 कुल रकबा 2.8489 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 व 37 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही गई है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 37 के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजीयात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष में अंकित किया है कि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो कब्जा भी दिलवाया जावे। इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें केवल मात्र पत्थरगड़ी करने के आदेश दिए जा सकते हैं। कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।
4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/- रुपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा चंगेड़ी पटवार हल्का चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 122 पर दर्ज आराजी नम्बर 1449 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 321 पर दर्ज आराजी नम्बर 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1447, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455 कित्ता 15 कुल रकबा

2.8489 हैक्टर भूमि की चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षीगण / पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण / पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। यदि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो इसके लिए प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर